फर्द अहकाम

आशु शर्मा व अन्य बनाम अरूण व अन्य

पत्र: 151/2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की बहस सूनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वाके ग्राम गंवार ब्राम्हणान, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 824 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 825 रकबा 0.0300 है0 का सीमाज्ञान तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक/भू0अ0/15/232 दिनांक 21.05.2015 की पालना में दिनांक 05.06.2015 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष जरीब चलाकर खसरा नम्बर 824, 825, 830, 831 की सीमाये कायम कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.06.2015 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पत्थरगढी बाबत का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम गंवार ब्राम्हणान, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 824 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 825 रकबा 0.0300 है0 का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 05.06.2015 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	